प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(एकल पीठ : माननीय श्री मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव, न्यायाधीश)

रिट याचिका (सेवा) क्र. 2179/2011

...याचिकाकर्ता **यशवंत कुमार रावत**

बनाम

...उत्तरवादीगणगण **छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य**

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका

- -

आदेश हेतु दिनांक 11 सितंबर, 2013 को सूचीबद्ध

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(एकल पीठ : माननीय श्री मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव, न्यायाधीश)

रिट याचिका (सेवा) क्र. 2179/2011

...याचिकाकर्ता **यशवंत कुमार रावत**

बनाम

...उत्तरवादीगणगण **छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य**

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका

- -

उपस्थिति:

श्री पराग कोटेचा, अधिवक्ता याचिकाकर्ता के लिए ।

श्री गैरी मुखोपाध्याय, पैनल अधिवक्ता, राज्य की ओर से।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

- -

आदेश

(11-09-2013 को पारित)

सुना गया.

2. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने दिनांक 16-8-2010 के आदेश (अनुलग्नक पी-8) की शुद्धता और वैधता को चुनौती दी है, जिसके द्वारा नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि से वेतन वृद्धि प्रदान करने के याचिकाकर्ता के दावे को ख़ारिज कर दिया गया है।

3. इस याचिका को दायर करने के लिए आवश्यक तथ्यात्मक पृष्ठभूमि संक्षेप में इस प्रकार है:-

याचिकाकर्ता को उसके पिता, जो एक शासकीय सेवक थे, की मृत्यु के बाद अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति दी गई थी, दिनांक 28-5-1990 के आदेश (अनुलग्नक

पी-1) के अनुसार। इसके पश्चात् याचिकाकर्ता सेवा में बना रहा। लगभग 18 वर्षों की सेवा के बाद, याचिकाकर्ता ने दावा किया कि वे नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि से वेतन वृद्धि के हकदार हैं। शिकायत को रिट याचिका (सेवा) क्र. 3152/2008 के माध्यम से उठाया गया था, जिसे अंततः दिनांक 25-6-2008 के आदेश (अनुलग्नक पी/2) के माध्यम से निपटारा किया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी गई थी और साथ ही उत्तरवादीगण को निर्धारित समय के भीतर इस पर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था। यद्यपि याचिकाकर्ता को उसकी नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि से वेतन वृद्धि प्रदान करने का आदेश दिनांक 8-8-2008 (अनुलग्नक पी-3) को पारित किया गया था, लेकिन उस आदेश को दिनांक 10-6-2009 (अनुलग्नक पी-4) के एक अन्य आदेश द्वारा निरस्त कर दिया गया था, जो 13-5-2009 के आदेश के अनुसरण में था, जिसमें कहा गया था कि याचिकाकर्ता का वेतन वृद्धि प्रदान करने का अभ्यावेदन शासन के दिनांक 23-3-2009 और दिनांक 19-2-1990 के आदेशों के आलोक में याचिकाकर्ता का अभ्यावेदन ख़ारिज किया जाता है।

याचिकाकर्ता ने आदेश रद्द किए जाने से व्यथित होकर रिट याचिका (सेवा) क्र. 1954/2009 दायर करके फिर से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसे दिनांक 19-1-2010 के आदेश द्वारा स्वीकार कर लिया गया (अनुलग्नक पी-5)। हालांकि, इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद उत्तरवादीगण को विधि के अनुसार उचित आदेश पारित करने की स्वतंत्रता सुरक्षित रखी। तत्पश्चात, याचिकाकर्ता द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया; एक समिति का गठन किया गया; याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिया गया और दिनांक 16-8-2010 को आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक पी-8) पारित किया गया, जिसमें प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से वेतन वृद्धि प्रदान करने के याचिकाकर्ता के दावे को ख़ारिज कर दिया गया।

ख़ारिज आदेश से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने इस रिट याचिका के माध्यम से एक बार फिर न्याय का दरवाजा खटखटाया है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की तर्कों को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है:-

(अ) नियुक्ति आदेश में यह शर्त शामिल की गई थी कि याचिकाकर्ता के टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने तक उसे केवल 950/- रुपये का निश्चित वेतन दिया जाएगा, लेकिन यह शर्त

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उसके हित में लागू नहीं की जा सकती क्योंकि संबंधित भर्ती नियमों, अर्थात् मध्य प्रदेश सिंचाई विभाग (गैर-राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1969 में ऐसी कोई शर्त शामिल नहीं है कि वेतन वृद्धि केवल टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही देय होगी।

(ब) मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने समान परिस्थितियों वाले एक ही विभाग के कर्मचारी/कर्मचारियों के संघ के मामले में और लोक निर्माण विभाग के निम्न श्रेणी लिपिक द्वारा दायर रिट याचिकाओं के एक समूह में यह माना कि नियुक्ति आदेश में ऐसी शर्त शामिल होने के बावजूद, निम्न श्रेणी लिपिक वेतन वृद्धि प्राप्त करने के हकदार हैं। याचिकाकर्ता भी समान परिस्थिति में होने के कारण समान अनुतोष पाने का हकदार है। अधिकरण के उपरोक्त आदेश पर इस न्यायालय ने *रामचंद्र कुरुप बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य* के मामले में दिनांक 23-11-2009 को पारित अपने निर्णय में विचार किया था और उसे अनुमोदित किया था। उक्त सीमा तक विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को रिट अपील में खंडपीठ द्वारा दिनांक 5-7-2010 के आदेश द्वारा पुष्टि की गई थी। इसलिए, याचिकाकर्ता भी उसी अनुतोष का हकदार है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता की प्रार्थना का विरोध करते हुए तर्क दिया कि याचिकाकर्ता का मामला और न्यायाधिकरण द्वारा जिन मामलों का निर्णय किया गया है, उन्हें समान स्थिति में नहीं माना जा सकता। उन्होंने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को उसके नियुक्ति के समय सेवा की विशिष्ट शर्तें निर्धारित थीं, जिनमें यह भी शामिल था कि टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने तक उसे केवल 950/- रुपये का निश्चित वेतन का हक़दार होगा। याचिकाकर्ता ने कोई विरोध नहीं किया और बिना शर्त कार्यभार ग्रहण करके आदेश और उसकी शर्तों को स्वीकार कर लिया। इसलिए, अपनी नियुक्ति के 18 वर्ष बाद, अब याचिकाकर्ता नियुक्ति आदेश की शर्तों के विपरीत कोई तर्क देने और वेतन वृद्धि का दावा करने से विबंधित है।

6. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।

7. याचिकाकर्ता के नियुक्ति आदेश (अनुलग्नक पी-1) में स्पष्ट रूप से यह शर्त है कि सामान्य प्रशासन विभाग के दिनांक 3-6-1977 के परिपत्र के अनुसार, याचिकाकर्ता को "मध्य प्रदेश हिंदी शीघ्रलेखन एवं मुद्रालेखन बोर्ड, भोपाल" से दो वर्ष के भीतर हिंदी टंकण

परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। आदेश में स्पष्ट रूप से प्रावधान था कि जब तक याचिकाकर्ता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लेता, तब तक उसे 950/- रुपये के निश्चित वेतन प्राप्त होगा। याचिकाकर्ता का यह दावा नहीं है कि उसने नियुक्ति की ऐसी किसी शर्त पर कोई आपत्ति जताई थी। इसलिए, यह माना जाना चाहिए कि याचिकाकर्ता ने दिनांक 28-5-1990 के नियुक्ति आदेश (अनुलग्नक पी-1) में निर्धारित शर्तों और नियमों के अनुसार नियुक्ति स्वीकार कर ली थी। याचिकाकर्ता ने आदेश और उसकी शर्तों को स्वीकार कर लिया और बिना किसी विरोध के कार्यभार ग्रहण कर लिया। तब से याचिकाकर्ता सेवा में बना हुआ है। यह भी निर्विवाद है और वास्तव में आपेक्षित आदेश (अनुलग्नक पी-8) से स्पष्ट है कि आपेक्षित आदेश पारित होने की तिथि तक याचिकाकर्ता ने टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। हालांकि, उत्तरवादीगण ने उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए याचिकाकर्ता को सेवा में बनाए रखा, भले ही याचिकाकर्ता अपनी नियुक्ति की तारीख से दो साल के भीतर टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने की शर्त को पूरा करने में विफल रहा। लगभग 18 वर्षों तक याचिकाकर्ता ने अधिकारियों के समक्ष कोई शिकायत नहीं उठाई और न ही परीक्षा उत्तीर्ण करने और टंकण परीक्षा उत्तीर्ण न होने तक निश्चित वेतन के भुगतान की शर्त को चुनौती देने के लिए किसी न्यायालय का रुख किया। अतः, याचिकाकर्ता का आचरण स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि याचिकाकर्ता ने नियुक्ति आदेश की शर्तों और नियमों को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया, उसे यथावत स्वीकार किया और सेवा में कार्यभार ग्रहण कर लिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि याचिकाकर्ता के टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने तक उसे 950/- रुपये का निश्चित वेतन दिया जाएगा, यह शर्त का समावेश 1969 के भर्ती नियमों के विपरीत है, इस पर वैधानिक नियमों और कार्यकारी निर्देशों के अंतर्संबंध को नियंत्रित करने वाले स्थापित सिद्धांतों के संदर्भ में विचार किया जाना चाहिए।

निम्नलिखित सिद्धांत व्यापक रूप से स्थापित हैं और इन्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है:-

(i) जहां भर्ती और सेवा की शर्तें नियम बनाने वाले प्राधिकारी द्वारा बनाए गए वैधानिक नियमों द्वारा विनियमित होती हैं, वहां सेवा की शर्तें और नियम उन वैधानिक नियमों द्वारा शासित होते हैं।

(ii) जब भी नियमों में कोई कमी हो, जैसे कि सेवा की शर्तों और नियमों के कुछ पहलुओं पर वैधानिक नियम मौन है, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी कार्यकारी निर्देश उस कमी को पूरा करके नियमों की पूर्ति कर सकते हैं।

(iii) कार्यकारी निर्देशों के माध्यम से केवल नियमों का पूरक होना ही अनुमत है, न कि नियमों का प्रतिस्थापन।

(iv) नियमों और कार्यकारी निर्देशों के बीच संघर्ष और विसंगति की स्थिति में, नियम ही मान्य होंगे और विसंगति और विरोधाभास की सीमा तक कार्यकारी निर्देश शून्य और अप्रवर्तनीय होंगे।

9. वर्ष 1969 के प्रासंगिक भर्ती नियमों का सरसरी तौर पर अवलोकन करने पर पता चलता है कि उनमें भर्ती के बाद वेतन वृद्धि प्रदान करने के नियमों और शर्तों को नियंत्रित करने वाला कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। यह सत्य है कि वर्ष 1969 के भर्ती नियमों में निम्न श्रेणी लिपिक के पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करते है और यह भी प्रावधान है कि टंकण में दक्षता रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन भर्ती प्रक्रिया केवल इसी तक सीमित है। हालांकि, भर्ती के बाद वेतन वृद्धि कैसे दी जाएगी और किन शर्तों पर दी जाएगी, इस बारे में नियमों में कोई उल्लेख नहीं है। अतः, इस सीमा तक नियम मौन हैं। ऐसी स्थिति में, उत्तरवादी राज्य और उसके अधिकारियों के लिए यह हमेशा खुला रहता है कि वे नियुक्तियाँ करते समय वेतन वृद्धि देने संबंधी शर्तें शामिल करें। ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य की नीति यह है कि भर्ती के बाद वेतन वृद्धि टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर निर्भर करेगी। यह ध्यान देने योग्य है कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति निम्न श्रेणी लिपिक के पद पर हुई थी और इसलिए, शासन के सामान्य प्रशासनिक विभाग द्वारा दिनांक 3-6-1977 को जारी कार्यकारी निर्देशों के तहत याचिकाकर्ता पर टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने की ऐसी शर्त लगाई गई थी, जिसका उल्लेख नियुक्ति आदेश में ही मिलता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इसलिए, याचिकाकर्ता पर दो साल के भीतर टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने की शर्त अधिरोपित की गई थी, और इसे जीएडी के परिपत्र दिनांक 3-6-1977 के तहत प्रदान किए गए प्रावधान के अनुसार उसकी नियुक्ति के आदेश में शामिल किया गया था। इसे निम्न श्रेणी लिपिक के पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता नहीं कहा जा सकता है। नियुक्ति आदेश में शामिल वह शर्त जिसके तहत नियुक्ति के दो साल के भीतर टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करना और टंकण परीक्षा उत्तीर्ण होने तक निश्चित वेतन का भुगतान करना

अनिवार्य है, नियुक्ति के लिए निर्धारित योग्यता नहीं है, बल्कि नियुक्ति के बाद वेतन वृद्धि प्रदान करने के लिए निर्धारित एक शर्त है। इसलिए, दिनांक 3-6-1977 के कार्यकारी निर्देशों को वैधानिक नियमों के अनुरूप नहीं कहा जा सकता। वास्तव में, इसे वैधानिक नियमों का पूरक नहीं बल्कि कार्यकारी निर्देशों द्वारा नियमों में मौजूद कमी को पूरा करना कहा जा सकता है।

10. अतः स्पष्ट निष्कर्ष यह है कि टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता और यह शर्त कि याचिकाकर्ता द्वारा टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने तक वेतन वृद्धि देय नहीं होगी, वर्ष 1969 के भर्ती नियमों के विपरीत या असंगत नहीं है। अत: यह तर्क कि ऐसी शर्त नियमों के विपरीत होने के कारण प्रभावहीन, शून्य है और याचिकाकर्ता के विरुद्ध लागू नहीं की जा सकती, खारिज किए जाने योग्य है।

11. *माल्यादीन वर्मा* के मामले में अधिकरण द्वारा पारित आदेश और अधिकरण द्वारा दिनांक 1-12-1990 के आदेश के माध्यम से तय की गई याचिकाओं के समूह पर बहुत जोर दिया गया है, जो 1991 एमपी सर्विस टाइम्स 379 (अनुलग्नक पी-9) में प्रकाशित हुआ है। सर्वप्रथम, न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश इस न्यायालय पर बाध्यकारी नहीं है। न तो आदेश, न ही उसमें निहित निष्कर्ष, और न ही उसमें प्रतिपादित सिद्धांत उच्च न्यायालय पर बाध्यकारी हो सकते हैं, क्योंकि न्यायाधिकरण उच्च न्यायालय के अधीनस्थ है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. यह तर्क कि अधिकरण के आदेश को इस न्यायालय द्वारा *मुरलीधर दीवान बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य* [रिट याचिका (सेवा) क्र. 3849/2009 और दिनांक 23-11-2009 को निर्णयित याचिकाओं का समूह (अनुलग्नक पी-9) सामूहिक रूप से] के मामले में पुष्टि और अनुमोदित किया गया था, विधि में त्रुटिपूर्ण है। *मुरलीधर दीवान* (पूर्वोक्त) के मामले में पारित आदेश का अध्ययन करने के बाद, मुझे ऐसा कोई विधिक सिद्धांत नहीं मिला है कि वर्तमान जैसे मामले में, नियुक्ति आदेश में शामिल होने के बावजूद टंकण परीक्षा की शर्त को लागू नहीं किया जा सकता है या ऐसी शर्त का निर्धारण 1969 के भर्ती नियमों में निहित वैधानिक प्रावधानों के विपरीत और विसंगत है।

उस मामले में, तथ्यों के आधार पर, इस न्यायालय ने इस बात पर विचार किया कि क्या याचिकाकर्ताओं को उनकी किसी गलती के बिना, न्यायिक आदेश द्वारा वार्षिक वेतन

वृद्धि का लाभ दिए जाने के बाद, कार्यकारी निर्देशों द्वारा इसे वापस लिया जा सकता है। उस आदेश के कंडिका 11 में इस प्रकार टिप्पणी की गई है:-

".....वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ताओं को अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुसरण में लाभ प्रदान किया गया था।"

इस न्यायालय ने इस आधार पर कार्यवाही की कि उन मामलों में याचिकाकर्ता समान स्थिति में थे और उन्हें न्यायाधिकरण के आदेश के अनुसार वेतन वृद्धि दी गई थी और लाभ वापस लेना न्यायिक निर्णय को खारिज करने, पलटने और निरस्त करने के सामान है और राज्य शासन ने न्यायिक आदेश को निष्प्रभावी करने का प्रयास किया है। अन्य शर्त यह थी कि उत्तरवादियों ने पहले से दिए गए लाभों को वापस लेते समय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया है। न्यायालय ने आगे टिप्पणी की है कि उच्च वेतन या संशोधित वेतन के रूप में पहले से प्राप्त लाभ को वापस नहीं लिया जा सकता, क्योंकि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है, जो मनमाना, अयुक्तियुक्त और स्वत्वापहरी है। उच्चतम न्यायालय ने *पी. तुलसीदास और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश शासन और अन्य* के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर अवलंब लिया गया है। अपने आदेश के कंडिका 19 में यह प्रतिपादित किया गया था कि पारिश्रमिक/भत्तों के अधिक भुगतान की वसूली केवल उसमें सूचीबद्ध तीन शर्तों के तहत ही अनुमेय है और उस मामले में, वे शर्तें नियोक्ता के लिए उपलब्ध नहीं थीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. पूर्वोक्त आदेश इस बात का प्रमाण नहीं है कि टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने और परीक्षा उत्तीर्ण होने तक निश्चित वेतन दिए जाने की शर्त, 1969 के भर्ती नियमों में निहित प्रावधानों के विपरीत है। इस पर न तो बहस हुई और न ही निर्णय लिया गया। विधि का अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि मामले का विनिश्चय आधार ही वह होता है जो वास्तव में मामले से निकलता है, न कि वह जो तर्क देकर सिद्ध किया जा सकता है।

14. न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय के तथ्यात्मक आधार, जो आदेश के कंडिका 2 में उल्लिखित हैं, स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदक वे निम्न श्रेणी लिपिक थे जिनकी नियुक्ति दिनांक 22-8-1973 से पहले हुई थी और न्यायाधिकरण ने पाया कि यद्यपि नियुक्ति आदेश में परीक्षा उत्तीर्ण होने तक निश्चित वेतन के भुगतान के संबंध में एक शर्त थी, एक अन्य कार्यकारी निर्देश द्वारा उक्त शर्त की कठोरता को उन

लोगों के संबंध में शिथिल कर दिया गया था जिनकी नियुक्ति दिनांक 22-8-1973 तक हुई थी।

न्यायाधिकरण का कंडिका 7 में निहित अन्य निष्कर्ष कि इस नियम की कोई आवश्यकता नहीं है कि वेतन वृद्धि केवल हिंदी टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ही दी जा सकती है, इसलिए टंकण की कोई शर्त अधिरोपित नहीं की जा सकती। उपरोक्त निर्णय के आलोक में विधि की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है।

15. अन्य किसी भी कारण से अधिक, विबन्धन और स्वीकृति के सिद्धांतों के आधार पर, रिट याचिका में किया गया दावा खारिज किए जाने योग्य है। याचिकाकर्ता ने 18 वर्षों की नियुक्ति की शर्त को कभी चुनौती नहीं दी। उसने नियुक्ति की शर्तों को चुपचाप स्वीकार कर लिया। उसने चुपचाप सेवा में शामिल हो गया। नियुक्ति की शर्त को लेकर 18 वर्षों तक कोई चुनौती नहीं उठाई गई और नियुक्ति के दो वर्षों के भीतर टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने की शर्त का उल्लंघन करने के बावजूद सेवा में बने रहने की अनुकंपा और रियायत का लाभ उठाने के कारण याचिकाकर्ता को रिट न्यायालय से किसी भी प्रकार की अनुतोष मांगने का अधिकार नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत असाधारण क्षेत्राधिकार विवेकाधीन है। याचिकाकर्ता द्वारा लगभग दो दशकों तक इस शर्त को चुनौती न देने और स्वयं शासन के अधीन सेवा का लाभ उठाने के कारण, याचिकाकर्ता को इतने विलंबित चरण में नियुक्ति की शर्त को चुनौती देने का अधिकार नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. मैं इस रिट याचिका में कोई सार नहीं पाता हूँ और याचिका विफल हो जाती है एवं तदनुसार खारिज की जाती है। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता है।

सही/-

मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By–Brijesh Kumar Tiwari